Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 361 /2013

Smt. Tara Devi.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–43/11–12/ 264/11–12 में दिनांक–14.05.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राकेश कुमार देव, उत्तरवादी (प्रथम पक्ष) द्वारा निम्न न्यायालय में वाद सं0–264/11–12 दायर किया गया, जिसका प्रश्नगत भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में विधिवत अपने तथ्यों को रखा गया निम्न न्यायालय द्वारा इनके द्वारा समर्पित दस्तावेजी तथ्यों पर बिना कोई विचार किये तत्थहीन आदेश पारित कर दिया गया जो अवैध है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। क्योंकि निम्न न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–43/11–12 में अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है, जो इनपर वाध्यकारी नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व में बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–43/11–12 अपीलार्थी की प्रश्नगत भूमि सम्मलित नहीं है और विचारण वाद में इस तथ्य के संबंध में कोई मुखर आदेश पारित नहीं है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष भू–माफिया एवं लालची किस्म के व्यक्ति हैं, जो अपीलार्थी की भूमि पर गिद्ध दृष्टि गड़ाये हुए हैं। उत्तरवादी प्रथम पक्ष को अपीलार्थी के प्रश्नगत भूमि से कोई वैध संबंध नहीं है और उन्हें पूर्ण रूप से इस बात का ज्ञान नहीं है कि विवादित भूमि स्व0 शीतल गुप्ता से	

Web Copy. Not Official.

		संबंधित है और उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा निम्न न्यायालय में क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	समर्पित विवादित भूमि का ब्यौरा गलत प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि वर्ष 1981 में चन्द्रभूषण सहाय के नाम से नगरपालिका खतियान दर्ज है और उक्त खतियान को कभी भी किसी के द्वारा चुनौति नहीं दी गई और सीताधार से संबंधित बताना पूर्णतः गलत है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष की उक्त भूमि पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष को किसी संरचना से रोकना वैध नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर कोई सीताधार नहीं बहता है। एम0एस0 खाता नं0–139, 76 एवं 77 खेसरा सं0–366, 363, 365 कुल रकवा–131 एयर 60 प्वाइंट भूमि प्रतिमा सहाय एवं चन्द्रभूषण सहाय के नाम दर्ज है, जो पूर्णतः इनकी भूमि है। उक्त भूमि में से भू–स्वामी द्वारा 15 एयर 5 प्वाइंट भूमि वर्ष 1983 में अपीलार्थी तारा देवी के नाम विक्रय संलेख निष्पादित किया गया। क्रय के बाद ये शांतिपूर्ण दखलकार है। इनके नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं भू–लगान भुगतान कर रहे है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो पोषणीय नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी प्रथम पक्ष राकेश कुमार देव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर के आलोक में कहना है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में कुछ तथ्यों को छिपाते हुए प्रत्युत्तर समर्पित किया गया था। प्रश्नगत भूमि सीताधार की भूमि है। कार्यपालक अभियंता जल निःसरण एवं अनुसंधान पूर्णिया प्रमंडल की ओर से सहायक अभियंता सहित पाँच साक्षियों एवं प्रतिवादी की ओर से छः गवाहों का प्रति परीक्षण करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत अपील पक्षकार दोष ग्रसित है। निम्न न्यायालय द्वारा वाद सं0–43/11–12 एवं 264/11–12 समान प्रकति होने के आधार पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि जो सीताधार की है, फारबिसगंज से सटे पश्चिम से होकर प्राचीन काल से लगातार बहता	

Web Copy. Not Official.

		रहा है। इस धार से सटे पश्चिम में अनुमंडल मुख्यालय व न्यायालय की जमीन है। हाल के वर्षो में कुछ लोगो द्वारा प्रश्नगत भूमि के अंश भाग पर अवैध रूप से मिटटी भरकर मकान आदि के क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	निर्माण के कारण पानी का वहाव अवरूध हो गया है। जिसके विरूद्ध त्रस्त आमजनों द्वारा सड़क जाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। बार एसोसियेशन फारबिसगंज द्वारा इस समस्या को न्यायालय में दाखिल करते हुए इन्हें (राकेश कुमार देव अधिवक्ता) को प्राधिकृत किये जाने के आलोक में पक्षकार है। अपीलार्थी का उक्त जमीन पर कोई वैध अधिकार नहीं है, वे अवैध रूप से उक्त भूमि को बेचकर धार के बहाव क्षेत्र को अवरूद्ध करने पर उतारू है। जबकि अपीलार्थी स्वयं एवं उनके पति अवैध एवं स्वार्थवश विवाद उत्पन्न करते रहते है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में अंचलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पक्षकारों के दस्तावेजों के जाँचोपरांत विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। सीताधार एक पुराना धार है तथा जगह जगह सीताधार के नाम से कई पूल बने हुए है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निम्न न्यायालय में है। अपीलार्थी अवैध रूप से लोकहित से जुड़ी भूमि की खरीद बिक्री करना चाह रही है, जिन्हें रोका जाना नितांत आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि गतली से इस धार की जमीन का रैयती खतियान कुछ लोगो के नाम से बन जाने के कारण अवैध तरीके से खरीद बिक्री एवं मिटटी भरकर धार के बहाव को अवरूद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद में सीताधार का पानी अनुमंडल न्यायालय एवं वकालत खाना में प्रवेश कर तवाही मचाने लगती है। इसके विरूद्ध फारबिसगंज नगर वासियों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को भी आवेदन समर्पित किया गया है। निम्न न्यायालय में गवाहों ने प्रति परीक्षण में इस बात की पुष्टि नहीं है कि सीताधार का अस्तित्व काफी समय पूर्व से है, जिससे मिटटी भराई का बहाव को अवरूद्ध किया जा रहा है। निम्न न्यायालय ने सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत सीताधार से उत्तर से दक्षिण बहाव क्षेत्र के चौड़ाई में पड़ने वाले भूमि के रैयत पर अपनी–अपनी भूमि का प्रयोग केवल कृषि कार्य	

Web Copy. Not Official.

		हेतु निर्धारित है। भवन निर्माण या अन्य कार्य अवैध समझा जायेगा इस संबंध में नगर परिषद फारबिसगंज को भी तत्संबंधी निदेश दिये गये। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत न्यायोचित मुखर आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले का विचारण कई साक्षियों का परीक्षण तथा प्रति परीक्षण करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया गया है। किन्तु उक्त आदेश BLDR Act के अंतर्गत निरूपित प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले के विचारण के क्रम में अधिनियम में निरूपित प्रावधानों एवं क्षेत्राधिकार का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया के समक्ष प्रति प्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि सभी हितबद्ध रैयतों/पक्षकारों एवं बिहार सरकार के पक्षों की सुनवाई करते हुए यथोचित समयान्तर्गत विधिसम्मत् मुखर आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.